

करने का निर्णय संसूचित किया गया है।

उक्त पत्र में उल्लिखित शर्तों के कार्यान्वयन हेतु राज्य मंत्रिपरिषद का अनुमोदन अपेक्षित है, जिसके लिये आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
सं०सं०:-9/चि०महा०-07-08/2014-2015 (9) स्वा०/राँची, दिनांक:- 27/3/14
शुद्धि पत्र

अतः विभागीय पत्रांक 61(9) दिनांक 03.03.2014 में उल्लिखित शर्तों के कार्यान्वयन हेतु राज्य मंत्रिपरिषद का अनुमोदन अपेक्षित है, जिसके लिये आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में पी०जी०/यू०जी० कोर्स में शत प्रतिशत सीटों पर नामांकण सुनिश्चित करने के लिये विभागीय पत्रांक 61 (9) दिनांक 03.03.2014 द्वारा कतिपय शर्तों का निर्धारण करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय संसूचित किया गया है।

उक्त पत्र में उल्लिखित शर्तों के कार्यान्वयन हेतु राज्य मंत्रिपरिषद का अनुमोदन अपेक्षित है, जिसके लिये आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

सिंप्रति P.G.E.T. -2014 का Counselling Schedule प्रारंभ
राँची/परीक्षा नियंत्रक, जे०सी०ई०सी०ई० बोर्ड, राँची/प्राचार्य, पी०एम०सी०एच०, धनबाद/महाविद्यालय, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
अतः विभागीय पत्रांक 61(9) दिनांक 03.03.2014 में उल्लिखित शर्तों राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरांत ही लागू होगा।

विश्वासभाजन

(विनोद कुमार मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।
दिनांक:- 27/3/14

ज्ञापांक:- 82(9)

प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड, राँची/परीक्षा नियंत्रक, जे०सी०ई०सी०ई० बोर्ड, नामकुम, राँची/निदेशक, रिम्स, राँची/प्राचार्य, पी०एम०सी०एच०, धनबाद/ प्राचार्य, एम०जी०एम० चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।